

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

द्वारा- वित्त विभाग।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में सात निश्चय के अन्तर्गत राज्य के अनाच्छादित 14 अनुमण्डलों में यथा मंजौल, वखरी, मोहनियाँ, अरेराज, रक्सौल, गोगरी, पटना सिटी, बाढ़, मसौड़ी, सासाराम, दलसिंह सराय, वेल्संड, निर्मली, एवं महनार में नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यदेश संख्या बी0एस0डी0एम0/बजट-23/2015 -64 दिनांक 28-3-16 (छाया प्रति संलग्न)के कंडिका 2.6 के दिशा निर्देश के आलोक में भूमि की उपलब्धता के आधार पर सात निश्चय के अन्तर्गत राज्य के अनाच्छादित 14 अनुमण्डलों यथा (1) मंजौल, (2) वखरी, (3) मोहनियाँ, (4) अरेराज, (5) रक्सौल, (6) गोगरी, (7) पटना सिटी, (8) बाढ़, (9) मसौड़ी, (10) सासाराम, (11) दलसिंह सराय, (12) वेल्संड, (13) निर्मली, एवं (14) महनार के शिक्षित युवकों / युवतियों को कुशल तकनिशियन एवं कामगार के रूप में तैयार करने के हेतु आधुनिक व्यवसायों में तकनिकी प्रशिक्षण दिलाने के उद्देश्य से नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजनान्तर्गत नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर 06 आधुनिक व्यवसायों में प्रशिक्षित करते हुए रोजगार/स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

2-वर्तमान में उक्त स्थापित होनेवाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किराये के भवन / सरकारी भवन में चलाया जाना है। इसके लिये आवश्यक संसाधन आदि की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2018-19 से की जाएगी तथा प्रशिक्षण वर्ष 2018 से प्रारंभ किया जाएगा। संस्थानों के लिये अपना प्रशासनिक भवन तथा कर्मशाला भवन हेतु भूमि उपलब्ध / हस्तांतरित होते ही भवन निर्माण की कारवाई प्रारंभ की जाएगी। वर्तमान में 06 आधुनिक एवं लोकप्रिय व्यवसाय की स्थापना कर संस्थान चलाया जाना है, जो निम्नवत् है-

क्रमांक-	व्यवसाय का नाम	यूनिट	कुल प्रशिक्षणार्थियों की सं०	प्रशिक्षण अवधि
1-	फीटर-	2(1+1)	42	दो वर्ष
2-	इलेक्ट्रीशियन-	2(1+1)	42	दो वर्ष
3-	इन्फॉर्मेशन एण्ड कॉमन्यूकेशन टेक्नॉलाजी सिस्टम मेंटेनेन्स	2(1+1)	42	दो वर्ष
4-	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक	2(1+1)	42	दो वर्ष
5-	वेल्डर	2	28	एक वर्ष
6-	मैकेनिक डीजल इंजन	2	42	एक वर्ष

कुल- 12 238 (दो सौ अड़तीस)
नव स्थापित होने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निम्न प्रकार पदों का सृजन किया जाना है :-

पद वेतनमान ग्रेड पे सृजित एवं स्वीकृत किये जाने वाले पद की संख्या (प्रति संस्थान x 18)

पद	वेतनमान	ग्रेड पे	सृजित एवं स्वीकृत किये जाने वाले पद की संख्या (प्रति संस्थान x 18)
प्राचार्य	9300-34800	4800	01 x 14 = 14
उप प्राचार्य	9300-34800	4600	01 x 14 = 14
सहायक अधीक्षक	9300-34800	4200	01 x 14 = 14
मुख्य अनुदेशक	9300-34800	4200	02 x 14 = 28
व्यवसाय अनुदेशक	9300-34800	4200	12 x 14 = 168
गणित अनुदेशक	9300-34800	4200	01 x 14 = 14
ड्राइंग अनुदेशक	9300-34800	4200	01 x 14 = 14
अंग्रेजी अनुदेशक	9300-34800	4200	01 x 14 = 14
प्रधान लिपिक	9300-34800	4200	01 x 14 = 14
उ0व0लिपिक	5200-20200	2400	02 x 14 = 28
भंडारपाल	5200-20200	1900	01 x 14 = 14
डाटा इंटी ऑपरेटर	5200-20200	2400	01 x 14 = 14
नि0व0लिपिक	5200-20200	1900	03 x 14 = 42
मिश्रक	5200-20200	1900	01 x 14 = 14
कार्यालय परिचारी	4440-7440	1800	08 x 14 = 112
स्वीपर	4440-7440	1300	01 x 14 = 14

कुल- 38 x 14 = 532
(पाँच सौ वत्तीस पद)

②

अंग्रेजी अनुदेशक/डाटा इंटी ऑपरेटर/कार्यालय परिचारी तथा स्वीपर की नियुक्ति संविदा/आउटसोर्सिंग के आधार पर किया जाएगा।

प्रति संस्थान स्थापनादि व्यय संबंधी प्रस्ताव :-

स्थापना व्यय	15500000.00
कार्यालय व्यय एवं अन्य	2000000.00
मशीनें एवं उपस्कर	13000000.00

योग:- 30500000.00 रुपये


(रूपये तीन करोड़ पाँच लाख) मात्र ।


इस प्रकार 14 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना पर कुल व्यय **14 x 305 =4270** लाख अनुमानित

3. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे तथा प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (संबंधित अनुमण्डलों) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
4. इस योजना के तहत राशि की निकासी संबंधित वित्तीय वर्ष में मुख्य शीर्ष- 2230-श्रम और रोजगार, उपमुख्य शीर्ष-03-प्रशिक्षण, समूह शीर्ष-राज्य स्कीम, लघुशीर्ष-003 शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0118-नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, विपत्र कोड-26- 2230030030118 एवं निर्माण कार्य पर व्यय मुख्य शीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पुँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष- 60 -अन्य भवन, लघु शीर्ष-051-निर्माण, मांग संख्या-3, उपशीर्ष-0112- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन, विपत्र कोड-03- 4059600510112 के अन्तर्गत संबंधित वित्तीय वर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- 5- इस राशि की निकासी संबंधित अनुमण्डलों के कोषागार/उपकोषागार से संबंधित उपशीर्ष के बजट उपबंध के अनुरूप आवंटन निर्गत करने के पश्चात किया जाएगा।
- 6- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या बी0एस0डी0एम0/बजट-23/2015 -64 दिनांक 28-3-16 में योजना प्राधिकृत समिति / मंत्रीपरिषद एवं वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त है, जिसके आलोक में यह स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा रहा है।
- 7- इस स्थापना के लिए प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाना अपेक्षित है। इससे संबंधित कोषागार एवं वेतनादि की निकासी का विपत्र कोड निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	संस्थान का नाम	कोषागार का नाम	वेतनादि की निकासी का विपत्र कोड
1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंझौल(बेगुसराय)	बेगुसराय	26-2230030030118
2	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वखरी(बेगुसराय)	बेगुसराय	26-2230030030118
3	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मोहनियाँ,(भभुआ)	भभुआ	26-2230030030118
4	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अरेराज(पूर्वी चम्पारण)	मोतिहारी	26-2230030030118
5	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रक्सौल (पूर्वी चम्पारण)	मोतिहारी	26-2230030030118
6	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोगरी,(खगड़िया)	खगड़िया	26-2230030030118
7	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटना सिटी(पटना)	पटना सिटी	26-2230030030118
8	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बाढ़, (पटना)	बाढ़,	26-2230030030118
9	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मसौढ़ी(पटना)	मसौढ़ी	26-2230030030118
10	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सासाराम(रोहतास)	सासाराम	26-2230030030118
11	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दलसिंह सराय,(समस्तीपुर)	दलसिंह सराय	26-2230030030118
12	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वेल्संड(सीतामढ़ी)	सीतामढ़ी	26-2230030030118
13	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निर्मली,(सुपौल)	सुपौल	26-2230030030118
14	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महनार(वैशाली)	वैशाली	26-2230030030118

8-स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।



विशेष सचिव,
श्रम, संसाधन विभाग।


14/5

ज्ञापांक- पत्रांक- टी-3 / यो0-09/2016- 1041

पटना, दिनांक- 18.05.18

प्रतिलिपि:-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों)/वित्त विभाग (बजट- शाखा)/विकास आयुक्त के सचिव /माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव, /प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग /आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।




विशेष सचिव,
श्रम, संसाधन विभाग।

ज्ञापांक- पत्रांक- टी-3 / यो0-09/2016- 1041

पटना, दिनांक- 18.05.18

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार पटना/सभी उपनिदेशक प्रशिक्षण/क्षेत्रिय निरीक्षी पदाधिकारी/परीक्षा नियंत्रक, नियोजन भवन बेली रोड पटना/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग/सभी संबंधित प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/सभी स्थापना शाखा, नामांकन शाखा, भवन शाखा, नियुक्ति शाखा, व्यय शाखा एवं बजट शाखा (सरकार पक्ष एवं निदेशालय प्रशिक्षण पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।



विशेष सचिव,
श्रम, संसाधन विभाग।